

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 911 सन 2020

अनवान :-

1. हरदत पुत्र श्रवणराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्रवणराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर ।
2. सिलोचना पुत्री श्रवणराम पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी गोगामेडी चक 5 जीजीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. माना पुत्री श्रवणराम पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी गोगामेडी चक 5 जीजीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 21/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्रय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 227/219 कुल 22.2640हैक् में से 1/12 हिस्सा व रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 135/142 की कुल 1.4330हैक् व रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 117/124 की कुल 15.5970हैक् में से 1033/15597 व रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 92/88 की कुल 1.8540हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादी/दादा सुखी बेवा वीरू , भैराराम वल्द आशाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादी/दादा सुखी बेवा वीरू , भैराराम वल्द आशाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादी/दादा सुखी बेवा वीरू , भैराराम वल्द आशाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 का सही नाम श्रवणराम पुत्र भैराराम है जिसे राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश फरमावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 227/219 कुल 22.2640हैक में से 1/12 हिस्सा व रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 135/142 की कुल 1.4330हैक व रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 117/124 की कुल 15.5970हैक में से 1033/15597 व रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 92/88 की कुल 1.8540हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादी/दादा सुखी बेवा वीरू , भैराराम वल्द आशाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादी/दादा सुखी बेवा वीरू , भैराराम वल्द आशाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादी/दादा सुखी बेवा वीरू , भैराराम वल्द आशाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में श्रवण कुमार पुत्र भैराराम व श्रवण कुमार पुत्र नानुराम दर्ज है के स्थान पर श्रवणराम पुत्र भैराराम संशोधन किया जावे।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 227/219 कुल 22.2640हैक में से 1/12 हिस्सा व रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 135/142 की कुल 1.4330हैक व रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 117/124 की कुल 15.5970हैक में से 1033/15597 व रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 92/88 की कुल 1.8540हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

पर्चा खतौनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार वाद भूमि दादी/दादा सुखी बेवा वीरू , भैराराम वल्द आशाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादी/दादा सुखी

बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में श्रवण कुमार पुत्र भैराराम एव श्रवण कुमार पुत्र नानुराम दर्ज है प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वादी के पिता का नाम श्रवणराम पुत्र भैराराम होना प्रतीत होता है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम श्रवणराम पुत्र भैराराम दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 बरानी के खाता संख्या 227/219 कुल 22.2640 हैक् में से 1/12 हिस्सा व रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 135/142 की कुल 1.4330 हैक् व रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 117/124 की कुल 15.5970 हैक् में से 1033/15597 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 92/88 की कुल 1.8540 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम श्रवण कुमार पुत्र भैराराम एव श्रवण कुमार पुत्र नानुराम के स्थान पर श्रवणराम पुत्र भैराराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. हरदत्त पुत्र श्रवणराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्रवणराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. सिलोचना पुत्री श्रवणराम पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी गोगामेडी चक 5 जीजीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. माना पुत्री श्रवणराम पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी गोगामेडी चक 5 जीजीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 911 सन 2020 निर्णय दिनांक- 21/01/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 बरानी के खाता संख्या 227/219 कुल 22.2640हैक में से 1/12 हिस्सा व रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 135/142 की कुल 1.4330हैक व रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 117/124 की कुल 15.5970हैक में से 1033/15597 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 92/88 की कुल 1.8540हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम श्रवण कुमार पुत्र भैराराम एव श्रवण कुमार पुत्र नानूराम के स्थान पर श्रवणराम पुत्र भैराराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)